समाहरणालय, धनबाद।
(जिला भू–अर्जन शाखा)

आम सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत ए०डी०बी० सम्पोषित पथ गोबिन्दपुर – टुण्डी – गिरिडीह (पैकेज–3) पथ चौड़ीकरण परियोजना के विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हेतु धनबाद जिला अन्तर्गत गोविन्दपुर एंव टुण्डी अंचल के में कुल रकवा – 9.8505 एकड़ भूमि के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य किया जा रहा है । उपरोक्त हेतु मेसर्स CRADLE, C/258, Road No.1C, Ashok Nagar, Ranchi-834002 Email: cradle_ran@yahoo. Com Phone No. 0651-2243102 के द्वारा एस०आई०ए० प्रतिवेदन प्रारूप समर्पित किया गया है ।

अतः एस०आई०ए० के प्रमुख निष्कर्षो पर विमर्श करने हेतु अधिनियम की धारा–5 एवं नियमावली, 2015 के नियम –11 के तहत दिनांक 09.12.2017 को 11.00 बजे पूर्वाहन में **पचायत भवन, महुबनी (गोविन्दपुर)** में लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है।

प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुंनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक समाघात निर्धारण के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।

24/11/17

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
धनबाद

24/11/17
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक– 1013/भू०अ०   धनबाद, दिनांक 24 ~~दिसम्बर~~ नवम्बर 2017.

प्रतिलिपि–अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर / टुण्डी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–मुखिया, गोविन्दपुर पूर्वी / बरियो / महुबनी–1 / लुकईयाड़ीह / पुर्नाडीह पंचायत को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–अपर समाहर्त्ता (विधि–व्यवस्था) सह– नोडल पदाधिकारी, एन०आई०सी०, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त आम सूचना NIC के Website पर upload करने की कृपा की जाय।

24/11/17
उपायुक्त, धनबाद।

24/11/17

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
धनबाद